संख्या:147/2016/629/35-4-2016

प्रेषक ,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकरी
जालौन/झांसी/ललित□र/बांदा/
महोबा/चित्रकूट/हमीर□र।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 18 अप्रैल,2016

विषय: वर्ष 2016-17 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उ□र्युक्त विषय □र मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जन□द जालौन/झांसी/ ललित□र/बांदा/महोबा/चित्रकूट/हमीर□र में रिबोर हैण्ड□म्पों के अधिष्ठा□न से संबंधित कार्यों की शासनादेश संख्या:117/2016/480/35-4-2016 दिनांक 31 मार्च,2016 द्वारा लागत रू. 2085.40 लाख □र प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रू□ में रू. 417.08 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। एतदद्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत कार्यों हेतु प्रथम किश्त के रू□ में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष देय धनराशि रू. 1668.32 लाख (रू□ये सोलह करोड़ अरसठ लाख बत्तीस हजार मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आ□के निवर्तन □र रखे जाने की, श्री राज्य□ाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

	जन□द	हैण्ड□म्पों की संख्या	हैण्ड□म्प अधिष्ठा□न का क्षेत्र	क्षेत्रवार हैण्ड्□म्पों की संख्या	अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	जालौन	400	□ठारी	60	52.81	10.56	42.25
			मैदानी	340	178.52	35.70	142.82
2	झांसी	446	□ठारी	395	237.92	47.58	190.34
			मैदानी	51	21.71	4.34	17.37
3	ललित□र	616	चट्टानी	616	379.10	75.82	303.28
4	बांदा	813	□ठारी	220	142.51	28.50	114.01
			मैदानी	593	287.88	57.58	230.30
5	महोबा	575	चट्टानी	575	363.28	72.66	290.62
6	चित्रकूट	336	चट्टानी	336	228.08	45.62	182.46
7	हमीर□र	341	□ठारी	54	48.68	9.74	38.94
			मैदानी	287	144.91	28.98	115.93
	योग	**3527**		**3527**	**2085.40**	**417.08**	**1668.32**

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31 मार्च,2016 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- कार्यों के लिये अवमुक्त धनराशि को ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक /डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर कार्यदायी संस्था को उ□लब्ध कराई जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उ□लब्ध करायी जायेगी।

4- बुन्देलखण्ड के जन□दों में सूखे की विषम □रिस्थितियों के दृष्टिगत इस शासनादेश से उक्त कार्य के लिए अनुमोदित लागत के सा□क्ष □र्ण धनराशि का आवंटन किया गया है। कार्य को मानकों के अनुरू□ □र्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही □र्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीक्रति शासनादेश दिनांक 31 मार्च,2016 में निहित शर्तों का अनु□ालन करते हुये हैण्ड□म्पों के रिबोर का कार्य 15 जून,2016 से □र्व सम्□न्न करा लिया जायेगा। कुल अवमुक्त धनराशि के सा□क्ष नियमानुसार निर्धारित प्रारू□ (रू□ □त्र-42-।) □र उ□योगिता प्रमाण उ□लब्ध कराया जायेगा।

6- कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा एवं गुण्वत्ता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व संबंधित जन□द के जिलाधिकारी का होगा।

7- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदु□योग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2017 से □र्व समर्पि□त किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का □रा लेखा- जोखा 31 मार्च, 2017 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार □र मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के □श्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2017 तक स्वीकृत धनराशि के सा□क्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्या□ित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

9- कार्य □र्ण होने □र कार्यदायी संस्था द्वारा सम्□रीक्षित लेखे अनिवार्य रू□ से उ□लब्ध कराये जायेंगे।

2- उ□र्युक्त मद □र होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-आयोजनागत-लेखाशीर्षक-4215-जल□ूर्ति तथा सफाई □र □ूंजीगत □रिव्यय-01-जल□ूर्ति-102-ग्रामीण जल□ूर्ति-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-02-जल□ूर्ति कार्यक्रमों के चालू कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञा□ संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:147/2016/629(1)/35-4-2016 तददिनांक

प्रतिलि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2-महालेखाकार, लेखा रीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3-प्रमुख सचिव/सचिव ग्राम्य विकास/नगर विकास/कृषि वि णन।
4-प्रमुख सचिव, वित्त।
5-निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6-मण्डलायुक्त, वाराणसी।
7-मुख्य विकास अधिकारी, जालौन/झांसी/ललित ुर/बांदा/
महोबा/चित्रकूट/हमीर ुर ।
8-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
9-वरिष्ठ कोषाधिकारी, जालौन/झांसी/ललित ुर/बांदा/
महोबा/चित्रकूट/हमीर ुर ।
10-गार्ड फाईल।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12-राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, जालौन/झांसी/ललित ुर/
बांदा/महोबा/चित्रकूट/हमीर ुर

आज्ञा से ,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in